

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर, जिला-जांजगीर-चाम्पा(छ.ग.)

राजी विवेकानंद गार्ड, मेन रोड जांजगीर, फोन नं. 07817222033, टेल फ्री नं. 18002332557

क्र./अशास.सं/अनु.गान्धा./2023-24/ ८६६

जांजगीर, दिनांक 21/04/2023

प्रति,

प्राचार्य

लायंस डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूल अकलतरा

वि.ख.-अकलतरा

जिला-जांजगीर-चाम्पा(छ.ग.)

विषय:- बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिए बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उपनियम 4 के तहत विद्यालय के नियम मान्यता प्रमाण पत्र।


—00000—

आपका आवेदन पत्र के संदर्भ में एतद् विषयक विद्यालय के पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत लायंस डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूल अकलतरा, वि.ख.-अकलतरा (विद्यालय का नाम पता सहित) को कक्षा-नर्सरी से बारहवीं तक के लिए सत्र 2023-24 हेतु अस्थाई मान्यता प्रदान करता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन है।

01. मान्यता की स्वीकृति परिवर्तनीय नहीं है और किसी भी प्रकार से कक्षा आठवीं के बाद से संबंधित नहीं है।
02. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर 1 व 2) विद्यालय के लिये बंधनकारी होगा।
03. विद्यालय, पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा पहली की दर्ज संख्या के 25 प्रतिशत तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
04. परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12(2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
05. सोसायटी/विद्यालय कोई भी केपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चे का या उसके माता-पिता पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित करेगा।
06. विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
07. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि—
  - ❖ प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा।
  - ❖ किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताङ्गना नहीं दी जायेगी।
  - ❖ किसी भी बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
  - ❖ कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश करेगा।
  - ❖ शिक्षक कानून के खण्ड 23(1) में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता सहित नियुक्त किये जाते हैं। 5 वर्ष की समयावधि के भीतर एसी न्यूनतम योग्यतायें प्राप्त करेंगे।
  - ❖ शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते उनकी सेवा नियम व शर्तों कानून के खण्ड 23(3) के उद्देश्य के लिए नियम 18 के उप नियम(1) के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित होगा।
08. विद्यालय उपर्युक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा।
09. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।
10. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में विशिष्टीकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाये रखेंगे। अंतिम निरीक्षण के समय प्राप्त सुविधायें निम्नानुसार हैं—


- प्राप्ति का दस्तावेज़
- खेल के मैदान का क्षेत्रफल
  - अध्यापन कक्षाओं की संख्या
  - प्रधान पाठक सह कार्यालय सहभण्डार हेतु कक्ष
  - बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
  - पेयजल सुविधा
  - मध्याह्न भोजन पकाले हेतु किचन
  - बाधारहित पहुंच मार्ग
  - शिक्षण अधिगम सामाग्री
  - खेलकुद के उपकरण
  - पुस्तकालय की संख्या
11. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायेगा
  12. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यावहारिक या आवासीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।
  13. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एकट 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी के द्वारा किसी कानून के तहत समयावधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।
  14. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जायेगा।
  15. लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिये और चाटर्ड एकाउटेंट में प्रमाणित कराया जाना चाहिये और नियमानुसार एकाउण्ट स्टेटमेंट तैयार किया जाना चाहिये। एकाउण्ट स्टेटमेंट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना होगा।
  16. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता को किसी भी पत्राचार में इसे अंकित करना होगा।
  17. विद्यालय समय-समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारियों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तों की सतत पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कामियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/संघीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।
  18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण आवश्यकतानुसार को सुनिश्चित किया जाये।
  19. अन्य शर्त एनकेसर 3 के अनुसार संलग्न है।

पृ.क्र./अशास.सं/अनु.मान्य./2023-24/५६७

  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 जांजगीर २१/०४/२०२३  
  
 जिला-जांजगीर-चाम्पा(छ.ग.)  
 जांजगीर, दिनांक २१/०४/२०२३

प्रतिलिपि:-

01. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय खण्ड-3 प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चाम्पा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
04. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अकलतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 जांजगीर  
  
 जिला-जांजगीर-चाम्पा(छ.ग.)